राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–901 / 2022

एल.एन. यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर।
3. सहायक निदेशक, उद्यान, जालौर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.03.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश विश्नोई, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह शेखावत, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन कृषि अधिकारी, उद्यान (पद विरूद्ध) कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान, जालौर से कृर्षि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्यालय उप निदेशक, कृर्षि (वि.) जि.प. जैसलमेर में किया गया है।

4. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में बार बार किया गया है। अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 07.07.2014 के द्वारा कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) काकरोली, राजसमंद से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 22.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीकानेर से

जालौर में किया गया। इसके बाद में अपीलार्थी का स्थानान्तरण जालौर से बाडमेर में आदेश दिनांक 24.06.2020 (अनुलग्नक–11) के द्वारा किया गया। अब पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जालौर से जैसलमेर में कर दिया गया है, जो वर्तमान पदस्थापित स्थान से लगभग 445 किमी. दूर किया गया है।

5. उनका तर्क है कि अपीलार्थी ACUTE SURVICAL SPONDILITIS AND PROSTATE DISEASE बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज गांधी नगर स्थित अपोलो चिकित्सालय, गुजरात में चल रहा है एवं उसकी पत्नी भी ACUTE ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA नामक रोग से पीडित है, जिनका भी उपचार चल रहा है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण से उसके परिवार में भारी असुविधा होगी। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक है और आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है, क्योंकि पंचायती राज विभाग से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2022 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं में किया गया है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान् अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बार–बार किया गया है।

   इस सम्बन्ध में हमारे विचार से अपीलार्थी का पूर्व में स्थानान्तरण जालौर से बाडमेर में आदेश दिनांक 24.06.2020 के द्वारा किया गया था, जो कार्य व्यवस्था के तहत पारित किया गया आदेश है। बाद में

कार्य व्यवस्था को निरस्त कर अपीलार्थी को पुनः जालौर में लगाया गया और अपीलार्थी जालौर में वर्ष 2014 से कार्यरत है। अपीलार्थी बाडमेर में केवल 6 माह ही कार्यरत रहा है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बार–बार किया गया है।

9. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क कि उसका स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में किया गया है।

इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 07.11.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। वर्तमान में राज्य सरकार मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प. 11(1)मम/2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का बंटवारा व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री के नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायतीराज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार कृषि मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायतीराज (आंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार स्वीकृति पंचायतीराज विभाग से लिये जाने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य में एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबियार बनाम राजस्थान राज्य में भी यह माना है कि जहां विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, वह स्थानान्तरण आदेश उचित है। यह भी माना है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन सक्षम स्तर पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ कृषि विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य बनाम रेखा कुमारी में भी मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना उचित माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रेखा कुमारी के मामले में कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया है कि मंत्री से अनुमोदित होने का अंकन आदेश में किया जावे, अपितु यह निर्णित किया है कि मंत्री से बाद में अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी उचित है।

10. स्थानान्तरण के मामले में सक्षम स्तर मंत्री है और वर्तमान आदेश में सक्षम स्तर से अनुमोदन होना अंकित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत–ड में यह प्रावधान है कि न्यायालय अवधारित कर सकेगा कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपादित किये जावे। उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत वर्तमान प्रकरण को देखे तो आलोच्य आदेश में यह अंकित है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ऐसे में यह अवधारणा की जा सकती कि, जो सक्षम स्तर से अनुमोदन किये जाने का इन्द्राज किया गया है वह मंत्री के स्तर पर अनुमोदन कराने के पश्चात् किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रकट नहीं होती है।

11. जहां तक अपीलार्थी के स्वयं के एवं उसकी पत्नी के बीमार होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी सम्बन्धित विभाग में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। केवल मात्र उसकी बीमारी के आधार पर आलोच्य आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12. आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि हो।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

14. आदेश आज दिनांक.15.03.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)